न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—51/2025

प्रार्थी:—

जुगराज उर्फ जगदीश उर्फ जगदीशराम पुत्र पेमाराम जाति नाई निवासी दुदो का बाड़ा

बनाम

विप्रार्थी:—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

श्री हीराचन्द सुथार अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 21.07.2025

प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि सरहद मौजा दूदो का बाडा तहसील समदडी में खसरा संख्या 414/226 व 55 रकबा 23.0913 व 7.6342 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विवादित भूमि प्रार्थी के पिता का नाम जगदीश व जगदीशराम" दर्ज कर दिया प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड,मतदाता परिचय पत्र, राशनकार्ड, बैंक डायरी आदि में प्रार्थी के पिता का नाम "जुगराज" दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी के पिता का नाम " जगदीश व जगदीशराम "लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदडी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1051 दिनांक 20.06.2024 द्वारा प्रार्थी के पिता के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज आधारकार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक डायरी ,मतदाता परिचय पत्र, ग्रा[illegible] अजीत द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में नरसा[illegible] पुत्र गीमाराम व चन्द्राराम पुत्र शान्तिलाल का बयान कलमबद्ध करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) [illegible]

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम ''जुगराज '' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम दूदो का बाडा तहसील समदडी के खसरा संख्या 414/226 व 55 रकबा 23.0913 व 7.6342 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी के पिता नाम ''जगदीश व जगदीशराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी के पिता का राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड,मतदाता परिचय पत्र ,परिवार राशनकार्ड, बैंक डायरी, व ग्राम पंचायत अजीत द्वारा जारी प्रमाण पत्र से प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम ''जुगराज'' की तस्दीक होती है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी के पिता नाम ''जगदीश व जगदीशराम '' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम दूदो का बाडा तहसील समदडी के खसरा संख्या I 414/226 व 55 रकबा 23.0913 व 7.6342 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी के पिता नाम ''जगदीश व जगदीशराम'' के स्थान पर ''जुगराज उर्फ जगदीश उर्फ जगदीशराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 21.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:04 IST
Reason: SelfAttested